महत्वपूर्ण एवं खास

रास्ता रोककर फाईनेंस कंपनी के ईडीओ से 36 हजार की लूट

रायगढ़। माईक्रो फाईनेंस कंपनी के ईडीओ परमेश्वर टण्डन उम्र 28 वर्ष हाल मुकाम भजनडीपा मिड्डुमुडा रायगढ द्वारा दिनांक 01/05/2021 के शाम थाना पुसौर अन्तर्गत ग्राम केनसरा एवं कवरिह के बीच अज्ञात 03 व्यक्तियों द्वारा 36,430 रूपये लूटपाट की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता परमेश्वर टंडन पिता टिकाराम टण्डन 28 वर्ष मूल ग्राम पासीद थाना कोसीर ने बताया कि वर्तमान में भजनडीपा मिड्डुमुडा में किराये के मकान में रहता हूं। दिनांक 14/10/2020 से माईक्रो फाईनेंस कंपनी में ईडीओ के पद पर कार्यरत हूं। दिनांक 01/06/21 के 01:00 बजे अपने मोटर सायकल डिस्कवर क्रमांक सीजी 13-यूएफ-9520 से ग्राम खोखरा तेलीपाली केनसरा से समुह लोन का 36,430 रूपये कलेक्शन कर ग्राम केनसरा होकर कंवरिहा पक्की रोड से जा रहा था तभी 03 अज्ञात व्यक्ति रोड पर मिले, उसमें एक व्यक्ति मोटर सायकल सीबी साईन बिना नम्बर को खडी कर बैठा था, दो लोग रोड में खडे थे जिन्हें देखकर बाइक धीरे कर उनके साईड से निकाल रहा था। तभी एकाएक एक लड़का बाइक के हेन्डल को पकड कर रोक लिया,जिसके बाद तीनों डरा धमकाकर पेंट के जेब में हाथ डालकर 36,430 रूपये को निकाल कर अपने मोटर सायकल में भाग गये। पीडित के लिखित आवेदन पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध धारा 394 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

सूने मकान का ताला तोड़कर पूरे घर की ली तलाशी कुछ नही मिलने पर स्कूटी चोरी ले गए चोर

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में चोरों द्वारा लगातार सूने मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामले की रिपोर्ट उरला थाने में दर्ज करायी गई है। पति के स्वर्गवास के बाद दो बेटियों का मजदूरी करके पालन-पोषण कर रही महिला के घर का ताला तोड़कर पेटी,आलमारी व सुटकेश में रखा सारा सामान चेक करने के बाद कुछ नही मिलने पर चोर स्कूटी चोरी कर चोर ले गए। मिली जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 23 शुक्रवारी बाजार कैलाश नगर बीरगांव निवासी श्रीमती लक्ष्मी सार्वे 38 वर्ष पति स्व.नरेश सार्वे ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि प्रार्थी प्रार्थिया के पति का स्वर्गवास 2019 में हो गया। जिसके बाद वह मजदूरी करके अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करती है। 29 मई को वह अपने दोनों बच्चों के साथ मौसी के यहां डिडौरी मध्यप्रदेश गई थी 1 जून वापस घर कैलाश नगर आने पर उसके मकान का ताला टुटा हुआ मिला। तथा कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा था एवं आलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखा कपड़ा व सुटकेश, पेटी के आंदर रखा कपड़ा पुरे कमरे में बिखरे पड़े मिला। तथा घर के अंदर रखा होण्डा डीयों स्कूटर क्रमांक सीजी 04 एमजी 9398 को चोरी कर लिए स्कूटी का चाबी आलमारी में रखा हुआ था। स्कूटी उसके पति के नाम से पंजीकृत है।

लैब तकनीशियन, लैब सहायक और फॉर्मासिस्ट, डाटा प्रबंधक की चयन सूची जारी

रायपुर (आरएनएस)। रायपुर मेडिकल कॉलेज में लैब तकनीशियन, लैब सहायक और फॉर्मासिस्ट की चयन सूची जारी कर दी गई है। साथ ही डाटा प्रबंधक पद के लिए कौशल परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। सूची कॉलेज के आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ज्ञात हो कि पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर द्वारा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा मॉडल ब्लड बैंक के लिए भर्ती की जा रही है।

राजीव गांधी किसान न्याय योजनाःसभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टाधारी किसान होंगे पात्रा

» धान के रकबे के रूप में पंजीकृत भूमि में अन्य चिन्हित खरीफ फसलों के उत्पादक एवं वृक्षारोपण करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपए की आदान सहायता

» योजना में शामिल फसलों के उत्पादक कृषकों को मिलेगी आदान सहायता राशि

रायगढ़ । राज्य में फसल विविधीकरण, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि फसल के काश्त लागत की प्रतिपूर्ति कर किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ 2021 से लागू प्रावधानों के क्रियान्वयन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा आज जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के भू-स्वामी और वन पट्टा धारी कृषक पात्र होंगे। संस्थागत भू-धारक, रेगहा, बटाईदार और लीज खेती करने वाले कृषक इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत खरीफ 2021 से धान के साथ खरीफ की प्रमुख फसल मक्का, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, अरहर तथा गन्ना उत्पादक कृषकों को प्रतिवर्ष प्रति एकड़ के मान से 9000 रुपए आदान सहायता राशि दी जाएगी। वर्ष 2020-21 में जिस रकबे से किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था यदि वह धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित धान अन्य फोर्टिफाइड धान, केला, पपीता लगाता है अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10000 रुपए के मान से आदान सहायता मिलेगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता दी जाएगी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। पंजीयन राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पोर्टल https://rgkny.cg.nic.in पर 1 जून से लेकर 30 सितंबर के मध्य किया जा सकेगा।

राज्य में कृषि के क्षेत्र में अधिक निवेश तथा इसको लाभ के व्यवसाय के रूप में पुनर्स्थापित करते हुए जीडीपी में कृषि क्षेत्र की सहभागिता में वृद्धि के उद्देश्य वाली यह योजना खरीफ 2021 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तर पर आयुक्त एवं संचालक कृषि तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की देखरेख में उपसंचालक कृषि द्वारा किया जाएगा। इस योजना के तहत पंजीकृत कृषक को अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे ऋण पुस्तिक, बी-1, आधार नंबर, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन का सत्यापन कृषि विस्तार अधिकारी से कराना होगा।

जिसे निर्धारित समयावधि में संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में जमा कर कृषक वहां से पावती प्राप्त कर सकेगा। संयुक्त खातेदार का पंजीयन नंबरदार नाम से किया जाएगा। इस हेतु संबंधित कृषकों को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति सह-शपथ पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। आदान सहायता पंजीकृत कृषक नंबरदार के खाते में अंतरित की जाएगी। जिसका बटवारा आपसी सहमति से खातेदार करेंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत सम्मिलित फसल के रकबे के निर्धारण हेतु भुइया पोर्टल में संधारित गिरदावरी के आंकड़े को ही अधिकृत रूप से उपयोग किया जाएगा। सभी फसलों का कृषकवार, खसरावार बोए गए फसल के क्षेत्राच्छादन की जानकारी राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी के माध्यम से की जाएगी। गिरदावरी के आंकड़ों में त्रुटि अथवा भिन्नता पाए जाने पर प्रचलित निर्देश एवं प्रक्रिया के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा सुधार का कार्य किया जाएगा। राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा एवं किसान द्वारा बोए गए वास्तविक रकबे में भिन्नता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी तथा पर्यवेक्षण करने वाले अमलों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। योजना अंतर्गत पोर्टल में पंजीकृत कृषकों को नोडल बैंक के माध्यम से किस्तों में आदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, निगरानी एवं अंतर विभागीय समन्वय का दायित्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के जिम्मे होगी, जब कि जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति योजना का क्रियान्वयन निगरानी और शिकायतों का निराकरण करेगी। योजना के अंतर्गत हितग्राही के सत्यापन की जिम्मेदारी कृषि विभाग के जिला एवं मैदानी स्तर के अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में शासन के निर्देशानुसार करेंगे।

महापौर ने किया प्री मानसून नाला सफाई का निरीक्षण

» वार्ड पार्षदो ने भी बताए अपने क्षेत्र के जलभराव स्थल

रायगढ़ , 02 जून (आरएनएस)। बरसात के पहले प्री मानसून के तहत नगर निगम द्वारा शहर के सभी बड़े एवं छोटे नालों की सफाई कराई जा रही है जिससे कि शहर में कहीं भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न ना हो इसी के मद्देनजर आज सुबह से ही नगर निगम की महापौर जानकी अमृत काट्जू एम आई सी सदस्य विकास ठेठवार,जिला कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री शाखा यादव के साथ निरीक्षण करने निकले।

महापौर जानकी अमृत काट्जू ने आज अपने ही वार्ड क्रमांक 4 से बरसात पूर्व नाला सफाई का निरीक्षण कर उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी को निर्देशित किया।तत्पश्चात वार्ड क्रमांक 7 इंदिरा नगर पहुंचे, वार्ड पार्षद आरिफ हुसैन भी महापौर के साथ नालों के सफाई का जायजा लिये साथ ही पार्षद ने नाली की जरूरत बताई जिसे महापौर ने टेंडर हो जाना बताया जिसका बहुत जल्द निर्माण कार्य भी आरम्भ हो जाएगा।वहाँ से वार्ड क्रमांक 42 में भी जलभराव क्षेत्रों का जायजा लिया जहां पार्षद राघवन ने अपने वार्ड के मुख्य नालों और नालियों को दिखाया जिसकी वजह से पानी घरों में आते है महापौर ने सम्बंधित अधिकारियों को कारगर उपाय कर जल्द से जल्द सफाई कराने निर्देशित किया।

महापौर जानकी काट्ज ने बताया कि नगर निगम एवम एम आई सी सदस्यों की टीम के द्वारा सभी क्षेत्रो का समय-समय पर निरीक्षण किया जा रहा है जलभराव की स्थिति से निपटने प्री मानसून नाला सफाई मेनपॉवर और सर्वसंसाधन से प्रतिदिन कराई जा रही है।आज किये गए निरीक्षण वार्ड के पार्षदो ने अपने सक्रियता से सभी क्षेत्रों को दिखाया,जहां सफाई कराया गया।

अवैध शराब की कार्रवाई में जुटमिल में 67 लीटर, पूंजीपथरा में 40 और चक्रधरनगर में 10 लीटर महुआ शराब की जब्ती

रायगढ़। दिनांक 01/06/2021 को विभिन्न थानाक्षेत्र अन्तर्गत देर रात तक अवैध शराब पर में कार्यवाही चलती रही। दैनिक प्रतिवेदन लिखे जाने तक उल्लेखनीय कार्यवाहियों में जूटमिल क्षेत्र में तीन आरोपियों से 67 लीटर महुआ शराब, पूंजीपथरा में दो प्रकरणों में 40 लीटर तथा चक्रधरनगर में एक व्यक्ति से 10 लीटर महुआ शराब की कार्रवाई की गई है।

जूटमिल टीआई अमित शुक्ला के नेतृत्व में जूटमिल स्टाफ द्वारा मुखबीर सूचना पर 1- सराईभद्दर नाला के पास सतोष खुंटे पिता भजोराम खुंटे निवासी कांशीराम चौक गांधीनगर वार्ड जूटमिल को पैदल शराब लाते हुये पकड़े, जिसके पास से 15 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। 2- दशरथ यादव स्व संतराम यादव सा 30 वर्ष सा कुंजेडबरी बलभद्रपारा चौकी जूटमिल के पास से 17 लीटर महुआ शराब तथा 3- अनुज जाटवर पिता अवध राम जाटवर उम्र 24 साल साकिन बनसियां चौकी जूटमिल को ग्राम बनसियां स्कुल के पास में नाकाबंदी कर पकड़ा गया जिसके पास से 35 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है। कल जूटमिल पुलिस द्वारा अवैध महुआ शराब की कार्यवाही में कुल 108 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई थी।

थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक कृष्णकांत के नेतृत्व में ग्राम गेरवानी नदी किनारे जाने वाली मार्ग पर तुलेश्वर खुंटे पिता मैनेजर खुंटे उम्र 35 साल सा0 कौडिया थाना डभरा जिला जांजगीर चांपा हा.मु. गेरवानी थाना पूंजीपथरा को 15- 15 लीटर के जरकिन में पदैल शराब लेकर आते हुये पकड़े, जिससे 30 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। दूसरी कार्यवाही ग्राम बडगांव में बालकृष्ण धनवार पिता विष्णु प्रसाद धनवार उम्र 40 वर्ष सा0 बडगांव थाना पूंजीपथरा के घर पर मुखबीर सूचना पर की गई है। आरोपी के पास से 10 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है।

थाना चक्रधरनगर स्टाफ द्वारा मनुवापाली तिराहा एमएसपी प्लांट रोलिंगमिल जाने का रास्ता पर सुधाकर जेना पिता हरिप्रसाद उम्र 49 वर्ष निवासी मनुवापाली थाना चक्रधरनगर को 10 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

नंदेली तिराहा के पास ट्रक में लोड 7 लाख कीमती 20 टन स्क्रैप पकड़ाया

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब व कबाड़ पर कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में आज दिनांक 02/06/2021 को थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक चमन सिन्हा के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर नंदेली तिराहा के पास नाकेबंदी कर अवैध परिवहन हो रही ट्रक को पकड़ा गया है, ट्रक से जप्त किये गये वाहनों के पाटर्स, लोहे का चादर, एंगल, पिक आयरन चोरी की सम्पत्ति होने के संदेह पर जप्त कर आरोपी वाहन चालक पर कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार आज दिनांक 02.06.2021 के दोपहर मुखबिर सूचना, थाना प्रभारी कोतरारोड़ के निर्देशन पर सहायक उप निरीक्षक डीपी भारद्वाज, हमराह आरक्षक कामता प्रसाद चौहान के साथ नंदेली तिराहा पर कार्यवाही करने नाकेबंदी कर मुखबिर द्वारा बताये वाहन का इंतजार कर रहे थे। दोपहर करीब 13:50 बजे वाहन ट्रक क्र0 एचआर 28 डब्ल्यू 9059 आयी जो पूरा तिरपाल ढकी हुई थी, स्टाफ वाहन को रोकी। ट्रक के चालक से पूछताछ करने पर अपना नाम जयवीर सिंह पिता रमेशचंद पाल उम्र 35 वर्ष साकिन मरहाला थाना मोहंदाबाद जिला फारूखाबाद (उत्तर प्रदेश) हाल मुकाम जिंदल पार्किंग पतरापाली थाना कोतरारोड का रहने वाला बताया। ट्रक के तिरपाल को हटवाकर चेक करने पर डाला में लोहे का सरिया, लोहे का चादर, एंगल, लोहे का पुराना खिड़की छड़, नट बोल्ट, मोटरसाइकिल पाट्‌र्स पुराना, साइकिल पाट्‌र्स पुराना, ट्रक पाट्‌र्स पुराना, पिक आयरन, लोहे का पुराना सामान जिसका वजन 20 टन 570 किलोग्राम कीमती 7,09,000 रुपए का था। वाहन का चालक लोहे का पाट्‌र्स, कबाड़ के संबंध में कोई कागजात नहीं होना बताया, जिस पर चोरी की सम्पत्ति होने के संदेह पर ट्रक को कबाड़ समेत जप्त कर आरोपी वाहन चालक पर इस्तगासा धारा 41(1-4) जा0फौ0/379 ताहि के तहत कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है।

मृत पत्नी का शव छोड़कर अस्पताल से भागा पति

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर के डीकेएस अस्पताल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत के बाद पति द्वारा शव छोड़कर फरार जाने का मामला सामने आया है। दो दिन से महिला का शव लावारिस हालत में शव मरचुरी में रखा गया है। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार 27 मई को मृतक महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 31 मई को उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। लेकिन महिला के मौत के बाद महिला का पति शव लेने अस्पताल ही नहीं पहुंचा है। और जो मोबाइल नंबर पति ने अस्पताल में दिया था वो भी बंद है। पिछले 2 दिनों से मृत महिला का शव मरच्यूरी में लावारिस हालत में पड़ा है।

35,000 से अधिक लोगों तक पुलिस हेल्प डेस्क से पहुंचाई जा चुकी है मदद

» मेडिकल, ई-पास के साथ वाहन उपलब्ध कराकर लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद

रायगढ़। लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले जरूरतमंदों एवं बाहर से आकर जिले फंसे कुछ लोगों को अब तक पुलिस हेल्प डेस्क के जरिये रेडी-टू-ईट पैकेट का वितरण किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देशन पर 14 अप्रैल 2021 से जिला पुलिस जन सहयोग से सूखा राशन, पका हुआ भोजन की व्यवस्था कर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा है, चूंकि अभी भी जिले में लॉकडाउन प्रभावशील है, ऐसे में असहाय, घुमंतू तथा बाहर जिलों से आकर मजदूरी करने वाले, फेरीवालों पर समस्याएं बनी हुई है जिन्हें पुलिस की हेल्प डेस्क से कुछ राहत मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने में जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई गई है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में स्थानीय पार्षदों द्वारा भी अपने-अपने वार्डों में सूखा राशन एवं सब्जियां उपलब्ध कराया जा रहा है।

पुलिस हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि रायगढ़ पुलिस एवं विभिन्न सामाजिक संस्था से प्राप्त राशन आज दिनांक 02 जून 2021 तक 35,229 व्यक्तियों तक सूखा राशन, पका हुआ भोजन का वितरण किया जा चुका है। अभी भी बचत में सूखा राशन का पैकेट रखा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति सम्पर्क करने पर व्यवस्था की जाती है तथा प्रतिदिन शहर में रेडी टू ईट पैकेट का वितरण थानों की पेट्रोलिंग के माध्यम से कराया जा रहा है।

कोरोना की दूसरी लहर में पुलिस हेल्प डेस्क के जरिए बहुत से लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। शुरूवाती समय में संक्रमित मरीजों के परिजनों के पुलिस हेल्प डेस्क में लगातार कॉल आते थे जो ऑक्सीजन, बेड, मेडिसीन में मदद के लिये थे, हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों, थाना प्रभारियों से उन्हें यथासम्भव मदद दिलाई गई। वहीं ई-पास के लिये लगातार पुलिस कार्यालय में सम्पर्क कर रहे लोगों को ई-पास में मदद की गई तथा प्रथम लॉकडाउन की तरह ही पिछले माह जिले में फंसे हुये दूसरे जिलों को लोगों को वाहन उपलब्ध करवाकर थाना प्रभारियों द्वारा उनके घर तक पहुंचाया गया है।

गोधन न्याय योजना-वर्मी कम्पोस्ट बनाने व बिक्री में रायगढ़ जिला शीर्ष पर

» पशुपालकों को शत-प्रतिशत भुगतान करने वाला भी प्रदेश में पहला जिला है रायगढ़

रायगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में रायगढ़ जिला पहले पायदान पर है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में रायगढ़ जिले में अब तक सर्वाधिक वर्मी का उत्पादन और विक्रय किया गया है। जिले में योजना अंतर्गत कुल 222 सक्रिय गौठान हैं। जिनमें से 2645167 किग्रा खाद का निर्माण किया गया है। जिसमें से लगभग 1226665 किग्रा खाद की बिक्री की जा चुकी है। जिसकी कुल विक्रय राशि लगभग 1 करोड़ 22 लाख 15 हजार 765 रुपये है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गयी है। यह योजना ग्रामीणों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। रायगढ़ जिले में योजना के सफल क्रियान्वयन के कलेक्टर भीम सिंह लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे गौठानों का लगातार निरीक्षण कर, वहां के नोडल अधिकारियों की नियमित बैठक लेकर गौठान स्तर पर क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। कलेक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोधन न्याय योजना मूल रूप से गौठान को स्वावलंबी बनाने की योजना है। गौठान के स्वावलंबी होने से किसानों की आय वृद्धि में मदद मिलेगी इसके साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा देने में सहयोग मिलेगा। उल्लेखनीय है कि बड़े पैमाने पर किसान गोधन योजना का लाभ लेने आगे आ रहे हैं। वे गोबर बेच रहे हैं और इससे उन्हें अतिरिक्त आय हासिल हो रही है। किसान इस वजह से पशुपालन की ओर भी प्रेरित हो रहे हैं इससे पशुपालन को भी बढ़ावा मिल रहा है और अंततः कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल रहा है। इसी का परिणाम है कि वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण और इसकी बिक्री के मामले में प्रदेश में रायगढ़ जिला अग्रणी है।

❒ पशुपालकों को शत-प्रतिशत भुगतान करने वाला भी प्रदेश में पहला जिला

रायगढ़- कलेक्टर सिंह के मार्गदर्शन में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों को शत-प्रतिशत भुगतान करने वाला पहला जिला भी रायगढ़ ही है। कलेक्टर सिंह के निर्देश पर सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल ने इसके लिए सहकारिता विभाग और अपेक्स बैंक के अधिकारियों के साथ लगातार पेमेंट का रिव्यु किया। जहां पशुपालकों द्वारा खाते की सही जानकारी नहीं दी गयी थी उनके खाता त्रुटि सुधार करने के साथ अन्य तकनीकी समस्याओं के चलते भुगतान लंबित था, उस प्रत्येक प्रकरण को चिन्हांकित कर उसमें जरूरी सुधार कर और राज्य स्तर से चिप्स से समन्वय कर पेमेंट करवाना सुनिश्चित किया गया। जिसके फलस्वरूप जिले के पशुपालकों का भुगतान पूरा हुआ। इससे अगले चक्र के भुगतानों में पशुपालकों को तकनीकी समस्यायों के चलते भुगतान में विलंब न हो यह भी सुनिश्चित होगा।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480